पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मीराँ साहिब, जम्म् PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA MIRAN SAHIB, JAMMU

बालवाटिका 3 में प्रवेश हेतु सूचना (2024-25) Admission Notice for Balvatika 3 (2024-25)

- बालवाटिका-3 में प्रवेश ऑफलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे
- Balvatika–3 admissions will be done through offline mode.
- पंजीकरण 01.04.2024 (सोमवार) को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और 15.04.2024 (सोमवार)
 को शाम 05:00 बजे बंद हो जाएगा
- Registration will commence at 10:00 am on 01.04.2024 (Monday) and will close at 05:00 pm on 15.04.2024 (Monday)
- बालवाटिका-3 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 साल होगी
- Minimum age for admission in Balvatika-3 will be 5 years.
- सभी बालवाटिका कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31.03.2024 के अनुसार होगी
- Reckoning of age for all Balvatika Classes shall be as on 31.03.2024

कक्षा Class	सम्बंधित वर्ष, जिसमें प्रवेश माँगा गया है, की 31 मार्च को		
	न्यूनतम/अधिकतम आयु		
	Minimum / Maximum Age as on 31st March of the Year in which admission is sought.		
बालवाटिका- 3	5 साल लेकिन 6 साल से कम		
Balvatika - 3	5 years but less than 6 years of age		
	केवल 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 के बीच पैदा हुए बच्चे ही		
	प्रवेश के लिए मान्य होंगे		
	Child born between 1 st April 2018 and 1 st April 2019 only will be considered for admission		

नोट/Note:

 प्राचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है

The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Children with Special Needs (CwSN), by the Principal.

 केविसं प्रवेश - दिशा निर्देश 2024-25 में उल्लिखित प्राथमिकता श्रेणी और आरक्षण मानदंडों के अन्सार प्रवेश दिया जाएगा

Admission will be given as per priority category and reservation norms as mentioned in Admission Guidelines 2024-25.

 यदि आवेदन पत्र में कोई गलत / भ्रामक जानकारी दी गई है तो केवि में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा

Admission will not be granted, if wrong and misleading information in the application form is found at the time of scrutiny by the KV

- प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर, निर्धारित समय अंतराल में ही संपर्क करें Contact Principal/Admission In-charge, only when called, in the given time slot
- कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केविसं के प्रवेश दिशा निर्देशों 2024-25 के अनुसार किया जाएगा जो कि https://kvsangathan.nic.in पर उपलब्ध है
 Reservation of seats will be as per KVS Admission Guidelines 2024-25 available on the Website https://kvsangathan.nic.in
- यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक / अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है, तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा

If any of the dates happens to be a public holiday the next working day shall be treated as opening/closing dates

प्रवेश समय-सारणी / Admission Schedule:

क्र सं	विषय बार	निर्धारित तिथियाँ
S No	विषय - वस्तु Contents	Scheduled Dates
1	बालवाटिका-3 के लिए पंजीकरण ऑफलाइन	01.04.2024 (सोमवार/Monday)
	माध्यम से	स्बह 10:00 AM onwards बजे से
	(केवल चयनित केन्द्रीय विद्यालयों में)	
	Offline Registration for Balvatika-3 (Only in selected KVs)	
2	बालवाटिका-3 के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की	15.04.2024 (सोमवार/Monday)
	अंतिम तिथि	शाम 05:00 PM बजे तक
	Last date of Offline Registration for Balvatika-3	
3		प्रथम अनंतिम सूची
	सभी पंजीकृत वियार्थियों की चयनित एवं	1st Provisional List on
	प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन	19.04.2024
	Declaration of provisional lists of selected and waitlisted registered candidates	(शुक्रवार/Friday)
		द्वितीय अनंतिम सूची
		2nd Provisional List on 29.04.2024
		(सोमवार/Monday)
		(यदि सीट बचें)
		(if seats remain vacant)
		तृतीय अनंतिम सूची
		3rd Provisional List on
		08.05.2024 (बुधवार/Wednesday)
		(यदि सीट बचें)
		(if seats remain vacant)
4	बालवाटिका कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि	29.06.2024 (Saturday)
	Last date of admission for Balvatika-3 classes	

सत्यापन के समय ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

List of documents to be carried at the time of verification:

- 1. केविएस प्रवेश फॉर्म KVS Admission Form
- 2. पंजीकरण फॉर्म पर बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें Recent passport size photograph of the child attached on the registration form
- 3. सक्षम प्राधिकारी से जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate from the competent authority
- 4. सक्षम प्राधिकारी से अनु जा/अनु जन/अपिव-नॉन क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो)। वर्ष 2024 के दौरान और उसके बाद जारी किया गया ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाएगा। (आरटीई और एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल के लिए अनिवार्य) Sc/ST/OBC-NCL/EWS/BPL certificate (as applicable) from the competent authority. EWS/BPL certificate issued during and after year 2024 will only be accepted. (Compulsory for RTE and SC/ST/OBC-NCL/EWS/BPL)
- 5. निवास का प्रमाण (राशन कार्ड/निवास प्रमाण पत्र/किराया समझौता/सरकारी क्वार्टर आवंटन पत्र) Proof of residence (Ration Card/Residence Certificate/ Rent Agreement/Govt.Qtr allotment letter)
- 6. बच्चे का आधार कार्ड AADHAR card of the Child
- 7. आधिकारिक लेटर हेड में माता-पिता का सेवा प्रमाण पत्र (सेवा श्रेणी-1 से आगे के लिए) में नियंत्रक अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ नियुक्ति का स्थान, वर्तमान नियुक्ति की तारीख, पदनाम, कर्मचारी का वर्तमान पता आदि का उल्लेख होना चाहिए। (कार्यरत माता-पिता के लिए अनिवार्य) श्रेणी1,2,3,4 में) Service Certificate of parent in Official letter head (for service cat-1onwards) mentioning the place of posting, date of present posting, designation, present address of the employee etc with seal and signature of the controlling officer.(Compulsory for parents working in category1,2,3,4)
- 8. पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानांतरण आदेश (सेवा श्रेणी -1 से आगे के मामले में) नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित (पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरित हुए माता-पिता के लिए अनिवार्य)
 Transfer orders during the last 7 years (in case of service category -1onwards) Signed by Controlling officer (Compulsory for parents who have been transferred in last 7 years)
- 9. वे माता-पिता जो किसी संगठन में कार्यरत हैं, यदि उनके बच्चे आरटीई के तहत चयनित हैं, तो वे आरटीई का पूरा लाभ तभी उठा सकते हैं, जब वे अपने कार्यालय के लेटर हेड में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। (श्रेणी 1,2,3,4 में काम करने वाले और आरटीई के तहत चयनित और ट्यूशन फीस माफी चाहने वाले अभिभावकों के लिए अनिवार्य)

For those parents who are working in any organisation if their wards are selected under RTE they can avail full benefits of RTE only if they get certificate in their office letter head by competent authority that they do

not get any reimbursement for the children education. (Compulsory for parents working in category1,2,3,4 and selected under RTE and wanting tuition fee waiver)

10. उन लोगों के लिए आवास प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता जो दूरस्थ/उग्रवाद क्षेत्र में काम कर रहे हैं (रक्षा क्षेत्र में दूरस्थ/उग्रवाद क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता के लिए)

Non availability of accomodation certificate for those who are working in remote /insurgency area (For parents working in remote/ insurgency area in Defence sector)

11. सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दिव्यांग प्रमाण पत्र (उन माता-पिता के लिए अनिवार्य जिनके बच्चे दिव्यांग श्रेणी के तहत चुने गए हैं)

Differently ABLED certificate from Civil Surgeon/Chief Medical Officer of Government Hospital (Compulsory for parents whose wards are selected under Differently Abled Category)

अभिभावकों के लिए निर्देश / INSTRUCTIONS FOR THE PARENTS:

- 1. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए, माता-पिता दिए गए संपर्क नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं For any admission related query, parents may contact through the given contact no.
- 2. पिता/माता बच्चे के साथ विद्यालय जायेंगे Father/Mother will visit vidyalaya along with child.
- 3. प्रवेश सत्यापन और सीटों की उपलब्धता के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अधीन है

Admission is subject to the presentation of all the relevant documents in Original for verification and availability of seats.